आठवीं अनुसूची

(धारा 144 देखिए)

केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के संशोधित किए जाने वाले उपबंध	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2006 द्वारा यथा अंतःस्थापित केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 का उपनियम (6क), देखिए अधिसूचना, संख्यांक सा0का0नि0 134(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 [3/2011-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन0टी0), तारीख 1 मार्च, 2011]	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम 10 फरवरी, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "(6क) उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे, यदि कराधेय सेवाएं किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई को या किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को, उनके प्राधिकृत प्रचालनों के लिए, सेवा कर का संदाय किए बिना उपलब्ध कराई जाती हैं।"।	10 फरवरी, 2006 से 28 फरवरी, 2011 तक